



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 961]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2016/वैशाख 2, 1938

No. 961]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2016/VAISAKHA 2, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2016

**का. आ. 1472(अ).**—केन्द्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 118 के उपनियम (2) के अधीन अधि सूचित परिवहन वाहनों को गति नियंत्रक (गति प्रतिबंधक युक्तियों या गति प्रतिबंधक कार्य) से सज्जित करने से 31 जुलाई, 2016 की अवधि तक छूट प्रदान करती है।

[फा. सं आर.टी-11017/13/2005-एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22th April, 2016

**S.O. 1472(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby exempts the transport vehicles notified by the State Government under sub-rule (2) of rule 118 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 from the fitment of speed governor (speed limiting device or speed limiting function) upto 31<sup>st</sup> day of July, 2016.

[F. No. RT-11017/13/2005-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.